भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3574
सोमवार, 11 अगस्त, 2025/2013 श्रावण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

'निधि' पोर्टल के अंतर्गत एक भारत, एक पंजीकरण पहल

†3574. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय जीवन शैली को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए ग्रामीण और जनजातीय होमस्टे को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लागू किए गए विशिष्ट प्रावधानों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों से लाभान्वित ग्रामीण होमस्टे की संख्या का वर्ष 2022 से वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरित कुल राशि का वर्ष 2022 से वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) "एक भारत, एक पंजीकरण" पहल के अंतर्गत आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) पोर्टल पर पंजीकृत ग्रामीण होमस्टे की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधि प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने पर्यटन या अधिभोग दिवसों की सुविधा प्रदान की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के विभिन्न वर्गों के लिए सेवाओं और अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु, पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वैच्छिक योजना "अतुल्य भारत होमस्टे प्रतिष्ठान" के अंतर्गत ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में होमस्टे सुविधाओं के साथ पूर्णतः संचालित कमरों का वर्गीकरण करता है। मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर होमस्टे को दो श्रेणियों यथा स्वर्ण श्रेणी और रजत श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

सरकार ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंज़ूरी दी है और 1000 होमस्टे का विकास इस

योजना का एक हिस्सा है। 01.07.2025 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित पात्रता के अध्यधीन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 5-6 गाँवों के समूह में प्रति गाँव 5-10 होमस्टे के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में होमस्टे की स्थापना में सहायता और प्रोत्साहन देने के लिए 2025-26 के बजट घोषणा में होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण के संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण की भी घोषणा की है।

(घ): "एक राष्ट्र, एक पंजीकरण" पहल के अंतर्गत आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) पोर्टल पर पंजीकृत ग्रामीण होमस्टे सुविधाओं की संख्या का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ): निधि प्लेटफॉर्म कोई बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इसका कार्य केवल स्वैच्छिक वर्गीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत और वर्गीकृत/अनुमोदित इकाइयों के आंकड़े एकत्र करना है। पर्यटन या अधिभोग के दिनों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्लेटफॉर्म पर दर्शाये नहीं जाते हैं।

****

अनुबंध

श्री प्रद्युत बोरदोलोई, सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा 'निधि' पोर्टल के अंतर्गत एक भारत, एक पंजीकरण पहल के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †3574 के भाग (घ) के उत्तर में **विवरण**

आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटा बेस (निधि) पोर्टल पर पंजीकृत ग्रामीण होमस्टे सुविधाओं की संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**कुल संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
आंध्र प्रदेश	7
अरुणाचल प्रदेश	33
असम	28
बिहार	1
छत्तीसगढ	2
गोवा	26
गुजरात	4
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	68
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	6
केरल	77
लद्दाख	6
मध्य प्रदेश	50
महाराष्ट्र	43
मेघालय	6
नागालैंड	1
ओडिशा	14
पंजाब	3
राजस्थान	9
सिक्किम	16
तमिलनाडु	137
तेलंगाना	2
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	955
उत्तराखंड	93
पश्चिम बंगाल	570

****